

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम, जिला-कबीरधाम (छ0ग0)

:: दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2025 ::

क्रमांक-क्यू/सी0जे0एम0/2025

कबीरधाम, दिनांक: 02.01.2025

मैं, राजेश्वरी सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम छ.ग. दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये आदेशों/ज्ञापनों को निरस्त करते हुए (अतिष्ठित करते हुए) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12(1) एवं 13(1) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल जिला कबीरधाम में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दांडिक प्रकरण एवं कार्य का विभाजन निम्नानुसार करती हूं, जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा:-

क्रं.	न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम एवं पद	आबंटित आरक्षी केन्द्र का नाम	कार्य एवं क्षेत्राधिकार का विवरण
1	2	3	4
01	राजेश्वरी सूर्यवंशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम (कवर्धा)	आरक्षी केन्द्र- 1) कवर्धा, चौकी-बाजार चारभाठा 2) चिल्पी, 3) भोरमदेव, 4) पिपरिया, चौकी-दशरंगपुर 5) सहसपुर लोहारा, चौकी-रणवीरपुर	(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण/परिवाद, धारा 156(3) दं.प्र.सं. एवं 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रकरणों का निराकरण करना। (भा.दं.सं. की धारा 354, 354A, 354(ए), 354(बी), 354(सी), 354(डी), 363, 376 से 376(ड) 509, 509(क), 509(ख) एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79,

	<p>6) थाना यातायात, आर.टी.ओ. कबीरधाम</p>	<p>63 से 71, 81, 82, 83, 84, 87, 137 के प्रकरण को छोड़कर ।</p> <p>(2) कबीरधाम जिले से उद्धृत (पंडरिया तहसील को छोड़कर) भा.दं.सं. की धारा 498(ए) एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85, 86 के प्रकरण का निराकरण करना ।</p> <p>(3) <u>कबीरधाम जिला से उद्धृत होने वाले:-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम 1994. 2) विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1992 3) कंपनीज अधि. 1956 4) धनकर अधि. 1957 5) दानकर अधि. 1958 6) आयकर अधि. 1961 7) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 8) निर्यात (क्यालिटी) नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम 1963 9) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964 10) एकाधिकार तथा अवरोधक, व्यापारिक अधिनियम 1969. 11) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973
--	--	---

		<p>से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>12) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम की धारा 84 से संबंधित आपराधिक प्रकरण।</p> <p>13) ड्रूस एवं कास्मेटिक अधिनियम के प्रकरण जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।</p> <p>14) विद्युत अधिनियम 2003 के प्रकरण जो मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।</p> <p>15) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987।</p> <p>(4) कबीरधाम जिले से उद्भूत (पंडरिया तहसील को छोड़कर) भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न आबकारी अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(6) कबीरधाम जिले के अंतर्गत आने वाले आबकारी वृत्त कवर्धा, आबकारी वृत्त सहसपुर लोहारा, आबकारी वृत्त बोड़ला से उद्भूत आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p>
--	--	--

			<p>(7) कबीरधाम राजस्व जिले के समस्त आरक्षी केंद्रों से उद्भूत/उत्पन्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले।</p> <p>(8) स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थाना/चौकी के अंतर्गत उद्भूत समस्त खात्मा प्रकरण एवं कबीरधाम जिले के समस्त थाना क्षेत्र के खारिजी प्रकरण का निराकरण करना।</p> <p>(9) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के तहत अल्प मात्रा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम द्वारा समय-समय पर सौंपे गये एवं अंतरित कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।</p>
02	<p>श्री पल्लव रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कबीरधाम (कवर्धा)</p>	<p>आरक्षी केंद्र- 1) झलमला, 2) बोडला, चौकी-पोड़ी एवं चौकी बैजलपुर, 3) सिंघनपुरी जंगल, 4) तरेगांव जंगल,</p>	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थानों एवं चौकी से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण/परिवाद, धारा 156(3) दं.प्र.सं. एवं 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रकरणों का निराकरण करना। (भा.दं.सं. की धारा 354, 354A, 354(ए), 354(बी), 354(सी),</p>

354(डी), 363, 376 से 376(ड) 509, 509(क), 509(ख) , 498 ए एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79, 63 से 71, 81, 82, 83, 84, 86, 86, 87, 137 के प्रकरण को छोड़कर ।

(2) कबीरधाम तहसील से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, नाप-तौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, मण्डी अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961

(3) कबीरधाम जिला के क्षेत्राधिकार (तहसील पण्डरिया को छोड़कर) उत्पन्न होने वाले **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881** के समस्त प्रकरण।

(4) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।

(5) स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के तहत अल्प मात्रा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।

(6) कबीरधाम राजस्व जिले से उत्पन्न (पंडरिया न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) Pre-

		<p>Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(7) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी के द्वारा प्रस्तुत समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(8) संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007।</p> <p>(9) तहसील कबीरधाम में पूर्व में कार्यरत मजिस्ट्रेट अथवा वर्तमान में तहसील कबीरधाम के रिक्त न्यायालय के मजिस्ट्रेटों के वे प्रकरण जिन्हें अपील अथवा पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा पुनः विचारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया हो अथवा रिक्त या पूर्व में कार्यरत न्यायालयों से संबंधित होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।</p> <p>(10) क्षमा प्राप्त अभियुक्तों के मामले।</p> <p>(11) स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थाना/चौकी के अंतर्गत उद्भूत समस्त खात्मा प्रकरण।</p> <p>(12) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय छ 0 ग 0 बिलासपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम द्वारा समय-समय पर सौंपे</p>
--	--	---

			गये एवं अंतरित कार्य एवं मामलों का निराकरण करना।
04	कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पण्डरिया, जिला- कबीरधाम (कवर्धा)	आरक्षी केन्द्र 1) पण्डरिया, 2) पाण्डातराई, 3) कुकदुर, 4) कुण्डा, चौकी दामापुर,	(1) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण/परिवाद, धारा 156(3) दं.प्र.सं. एवं 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रकरणों का निराकरण करना। (2) पण्डरिया तहसील से उद्भूत खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, नाप-तौल अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम 1958, मण्डी अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1961, छ.ग. वन अधिनियम 1927, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, आबकारी अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। (3) तहसील पण्डरिया से उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के तहत अल्प मात्रा से संबंधित प्रकरण। (4) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी एवं आबकारी वृत्त पण्डरिया से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम के समस्त आपराधिक

		<p>प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(5) तहसील पंडरिया से उत्पन्न होने वाले <u>धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881</u> के समस्त प्रकरण।</p> <p>(6) तहसील पण्डरिया से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(7) तहसील पंडरिया से उत्पन्न होने वाले Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (prohibition of sex selection) Act 1994 के प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(8) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थानों के द्वारा प्रस्तुत समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(9) संदाय और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007।</p> <p>(10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ 0 ग 0 उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कबीरधाम एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।</p>
--	--	---

05	<p>कु.पूजा मंडावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कबीरधाम</p>	1) रेंगाखार	<p>(1) स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थाने से उत्पन्न होने वाले आपराधिक/परिवाद, धारा 156(3) दं.प्र.सं. एवं 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रकरणों का निराकरण करना। (भा.दं.सं. की धारा 498(ए) एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85, 86 के प्रकरण छोड़कर)</p> <p>(2) कबीरधाम जिला (तहसील पण्डरिया को छोड़कर) के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न भा.दं.सं. की धारा 354, 354A, 354(ए), 354(बी), 354(सी), 354(डी), 363, 376 से 376(ड) 509, 509(क), 509(ख) एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79, 63 से 71, 81, 82, 83, 84, 87, 137 से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) जिला कबीरधाम (तहसील पण्डरिया को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरण।</p> <p>(3) स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित थाना/चौकी से</p>
----	--	-------------	---

		<p>उत्पन्न एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के तहत अल्प मात्रा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना/चौकी से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(5) स्तम्भ क्रमांक-03 में वर्णित थाना के द्वारा प्रस्तुत समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(6) माननीय सर्वोच्च न्यायालय, छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर, सत्र न्यायाधीश कबीरधाम एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम द्वारा समय-समय पर सौंपे/अंतरित किये गये दांडिक प्रकरण।</p>
--	--	---

-- आवश्यक टीप --

- (1) ऐसे अन्य प्रकरण जिनका विशिष्ट उल्लेख कार्य विभाग आदेश में नहीं है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
- (2) अन्य किसी प्रकार कि शंका की स्थिति निर्मित होती है तब ऐसी स्थिति में ऐसे प्रकरणों का निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर जिले में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।
- (3) धारा-164 दं.प्र.सं. एवं धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियों को तालिका-02 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट दर्ज करेंगे।

(4) किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने अथवा शासकीय दौरे पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या किसी न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य तालिका क्रमांक-01 के अनुसार बढ़ते हुए क्रम से संपादित किया जायेगा।

(5) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले थाना क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनके अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जायेंगे।

(6) कबीरधाम-मुख्यालय में पदस्थ एवं बाह्य स्थापना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संक्षिप्त विचारण की शक्तियों से शासित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकारिता रखने वाले क्षेत्र में माननीय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम की पूर्वानुमति से एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम को सूचित करते हुए दैनिक न्यायालय कार्य को प्रभावित किये बिना चलित न्यायालय अपने थानों के क्षेत्राधिकार में लगाया जा सकेगा।

(7) तालिका क्रमांक-01 के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर उनके सम्मुख अंकित मजिस्ट्रेट बढ़ते हुए क्रम के अनुसार दूसरे मजिस्ट्रेट उस प्रकरण के संज्ञान लेने हेतु अधिकृत रहेंगे, जिसमें अभियुक्त जुर्म स्वीकार करना चाहता हो तथा निराकरण करते समय ध्यान रखें कि दं.प्र.सं. की धारा 468(2) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-514(2) के उपबंधों की अवहेलना न हो।

(8) **मुख्यालय कबीरधाम में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी संबंधी आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम द्वारा प्रत्येक माह पृथक से आदेश जारी किया जायेगा**, कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पंडरिया, जिला-कबीरधाम छ.ग. के द्वारा प्रत्येक शासकीय या अन्यथा घोषित अवकाश के दिवसों में रिमाण्ड संबंधी प्रत्येक आवश्यक कार्य का संपादन किया जावेगा।

(9) सिविल जिला एवं रेवेन्यू जिला कबीरधाम के पंडरिया तहसील के परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण हेतु पृथक से कुटुम्ब न्यायालय, कबीरधाम में कार्यरत है।

(10) किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किशोर(बालक) से संबंधित प्रकरण हेतु किशोर न्याय बोर्ड, कबीरधाम में स्थापित है। बुधवार को छोड़कर शेष कार्यदिवस में किशोर न्याय अधिनियम का रिमाण्ड किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत होगा। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड कबीरधाम द्वारा उक्त संबंध में पृथक से ड्यूटी रोस्टर जारी किया जावेगा।

(11) स्थायी वारंट जारी करने वाले न्यायालय के बंद होने की दशा में, वर्तमान में उक्त थाना क्षेत्र जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट को कार्य विभाजन में प्रदत्त है उनके समक्ष स्थायी वारंट से गिरफ्तार किये गए अभियुक्त को पेश किया जावेगा।

तालिका क्रमांक-01

(अत्यावश्यक कार्यों का निष्पादन)

माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 14757 दिनांक 08.11.2023 एवं शुद्धिपत्र क्रमांक-15250 दिनांक 23.11.2023 के परिपालन में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर होने की दशा में उनके न्यायालय का "अत्यावश्यक" आपराधिक कार्य निम्नानुसार उल्लेखित मजिस्ट्रेट लिंक न्यायिक/ मजिस्ट्रेट कार्य का संपादन करेंगे।

क्रं.	स्तम्भ क्रं.-01	स्तम्भ क्रं.-02	स्तम्भ क्रं.-03	स्तम्भ क्रं.-04
1.	राजेश्वरी सूर्यवंशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम	श्री पल्लव रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	कु. पूजा मण्डावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पंडरिया जिला-कबीरधाम
2.	श्री पल्लव रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	कु. पूजा मण्डावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	राजेश्वरी सूर्यवंशी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम	कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पंडरिया जिला-कबीरधाम
3.	कु. पूजा मण्डावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	श्री पल्लव रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	राजेश्वरी सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम	कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पंडरिया जिला-कबीरधाम

4.	कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पंडरिया जिला- कबीरधाम	श्री पल्लव रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	कु. पूजा मण्डावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	राजेश्वरी सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम
----	---	--	---	--

टीप:-

- (1) नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में प्रभार लेने वाले अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तदनुसार कार्य करेंगे।
- (2) अवकाश में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे तथा मुख्यालय से बाहर जाते समय माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सूचित करेंगे।
- (3) उपरोक्त तालिका में दशायें अनुसार प्रथम लिंक एवं द्वितीय लिंक के दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट यदि अवकाश पर रहते हैं, तब अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करने बाबत यदि शंकास्पद की स्थिति आती है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक विवेक के तहत कार्य संपादन किया जावेगा।
- (4) न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश की दशा में लिंक न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक-15250/D&A/2023 दिनांक 23.11.2023 के निर्देशों का पालन करते हुए उपस्थित साक्षियों का साक्ष्य लेखबद्ध करेंगे तथा अन्यथा की स्थिति में 03 दिवस से अनधिक की तिथि हेतु साक्षी को पाबंद करेंगे।
- (5) पीठासीन अधिकारी किशोर न्याय बोर्ड कबीरधाम के प्रत्येक सप्ताह में बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड कबीरधाम में बैठक होने के कारण उक्त दिनांक में उनके न्यायालय में पूर्व से नियत प्रकरणों अथवा तात्कालिक सुनवाई हेतु प्रकरणों का निराकरण तालिका क्रमांक-01 के अनुसार बढ़ते हुए क्रम से संपादित किया जायेगा।

तालिका क्रमांक-02

(धारा-164 दं.प्र.सं. एवं धारा 183 भा.ना.सु.सं.2023 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियां दर्ज करना)

क्रं.	स्तम्भ क्रं.-01 थाना	स्तम्भ क्रं.-02	स्तम्भ क्रं.-02	स्तम्भ क्रं.-03
1.	जिला कबीरधाम के समस्त आरक्षी केन्द्रों/चौकी से उत्पन्न धारा-(भा.दं.सं. की धारा 354, 354A, 354(ए), 354(बी), 354(सी), 354(डी), 363, 376 से 376(ड) 509, 509(क), 509(ख) 498(ए) एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79, 63 से 71, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 137 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण, किशोर न्याय बोर्ड	श्री पल्लव रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पंडरिया जिला- कबीरधाम	राजेश्वरी सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम

	कबीरधाम में पेश होने वाले सभी प्रकरणों व थाना-रेंगाखार से संबंधित प्रकरण।			
2.	आरक्षी केन्द्र-पण्डरिया, पाण्डातराई, कुकदुर, कुण्डा, चौकी- दामापुर, थाना से संबंधित प्रकरण।	कु. पूजा मण्डावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	श्री पल्लव रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	राजेश्वरी सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम
3.	आरक्षी केन्द्र- कवर्धा, चौकी- बाजार चारभाठा, थाना-चिल्पी, थाना-भोरमदेव, पिपरिया, चौकी-दशरंगपुर, थाना-सहसपुर लोहारा, चौकी-रणवीरपुर से संबंधित प्रकरण।	कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पंडरिया जिला-कबीरधाम	श्री पल्लव रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	कु. पूजा मण्डावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम
4.	आरक्षी केन्द्र- झलमला, बोडला, चौकी-पोड़ी एवं चौकी -बैजलपुर, सिंघनपुरी जंगल एवं थाना -तरेगांव जंगल से संबंधित से संबंधित प्रकरण।	कु. पूजा मण्डावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पंडरिया जिला-कबीरधाम	राजेश्वरी सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम

आवश्यक टीप:-

(1) धारा-164 दं.प्र.सं. एवं धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियों को तालिका क्रमांक-02 के अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किया जायेगा। तालिका क्रमांक-02 के अनुसार यदि कोई मजिस्ट्रेट लगातार अवकाश पर रहता है तो उसके नाम के आगे बढ़ते हुए क्रम में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संबंधित थाने के 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत संस्वीकृतियों/कथन दर्ज करने के लिये अधिकृत किया जाता है।

तालिका क्रमांक-03

(NDPS ACT की धारा 52-क के तहत इन्वेटरी(विवरणी) प्रमाणित करना)

क्रं.	मजिस्ट्रेटों का नाम	थाना/आरक्षी केन्द्रों का नाम
1.	श्री पल्लव रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम	कवर्धा (चौकी-बाजार चारभाठा), भोरमदेव, पिपरिया (चौकी-दशरंगपुर) सहसपुर लोहारा, चौकी-रणवीरपुर, चिल्पी, बोडला (चौकी-पोड़ी एवं बैजलपुर) एवं झलमला
2.	कु. आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पंडरिया जिला-कबीरधाम	पण्डरिया, पाण्डातराई, कुकदूर, कुण्डा (चौकी-दामापुर)
3.	कु. पूजा मण्डावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कबीरधाम छ.ग.	रेंगाखार, सिंघनपुरी जंगल, तरेगांव जंगल

यह कार्य विभाजन आदेश अनुमोदन पश्चात तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

स्थान:-कबीरधाम (छ.ग.)

दिनांक:-02.01.2025

अनुमोदित
= 2/1/25

Subdivisional Judge
Kabeertham (C.G.)

2-1-25
संजय श्री सूर्यवंशी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कबीरधाम